# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/अचलसम्पत्ति/गो.प्र.प्र./(8)2018 दिनांकः 11.07.18

उप निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)

प्रधानाचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (समस्त)

निदेशक,
एस.आई.आर.टी. उदयपुर

विषयः– राजपत्रित अधिकारियों द्वारा राज–काज सॉफ्टवेयर में अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं भरने वाले अधिकारियों की 01.07.18 को देय वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करने बाबत।

प्रसंगः– प.24(6) शिक्षा–2/आईपीआर/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र एवं इसके साथ प्राप्त संलग्नकों की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन जिन राजपत्रित अधिकारियों ने दिनांक 31.05.18 तक अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण ऑनलाईन नहीं भरा है, को 01.07.18 को देय वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करने की कार्यवाही राज्य सरकार के उपरोक्त पत्र में प्रदत्त निर्देशानुसार की जानी सुनिश्चित करें एवं इस हेतु आपके अधीनस्थ अधिकारियों को पाबंद करें ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः– संस्थापन राजपत्रित अनुभाग कार्यालय हाजा प्रभाग–द को राज्य सरकार के उपरोक्त पत्र मय संलग्न की प्रति संलग्न कर आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही हेतु।

www.rajteachers.com

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

**कमांक: प.24(6)शिक्षा–2/IPR/2018** **जयपुर,** **दिनांक:** 4/7/18

**निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**

**निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर** **<u>Most Urgent</u>**

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर
11 2018
रास 1099

विषयः **राजपत्रित अधिकारियों द्वारा राज–काज सॉफ्टवेयर में अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं भरने वाले अधिकारियों की 01.07.18 को देय वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं करने बाबत।**

संदर्भ: संयुक्त शासन सचिव, कार्मि (क–1/गो.प्र.) विभाग का पत्र कमांक:प.13(76)का./क–1/गो.प्र./ 2011 दिनांक 25.06.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक विभाग ने संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांकः प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.11 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.12.17 द्वारा विभाग के समस्त राजपत्रित कार्मिकों से उनकी SSO-ID से लॉगिन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में उनकी स्वयं की समस्त अचल सम्पत्ति का विवरण IPR Module में उनके स्वयं के द्वारा दिनांक 31.01.18 तक आवश्यक रूप से भरवाने हेतु निर्देशित गया था। इस संबंध में समय–समय पर समयावधि बढाते हुए अन्तिम अवसर 31.05.18 तक देने के उपरान्त भी काफी संख्या में अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं भरा है।

**अतः संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार ऐसे समस्त राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने दिनांक 31.05.18 तक अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण ऑनलाईन नहीं भरा है, को 1 जुलाई, 2018 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं करें। साथ ही इस संबंध में आपके अधीनस्थ समस्त उपनिदेशको एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से संदर्भित पत्र की पालना कराना सुनिश्चित करे।**

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार।**

www.rajteachers.com

Received on 11.07.18

**भवदीय**

04.7.18

**(कमलेश आबुसरिया)**
**नोडल अधिकारी एवं**
**उप शासन सचिव**

D:\MALU RAM MEENA\24(6)IPR-2018.docx

(101)

शिक्षा
शासन
पत्र प्राप्ति सं. 6434
दिनांक 8/7/18

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक: 13(76)का./क–1/गो.प्र./11 जयपुर दिनांक: 25 JUN 2018

श्री नरेश पाल गंगवार
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, भाषा विभाग,
पुस्तकालय।

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या S-7157
दिनांक 27/6/18

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.12.2017 द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारिया को निर्दिष्ट किया गया था कि वे अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग–इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE पर ऑन–लाईन भरेगे।

IPR भरने के संबंध में समय सीमा अवधि बढाने के बावजूद काफी संख्या में राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा गया है।

1 जुलाई 2018 को सभी राजपत्रित अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलना है। आपसे निवेदन है कि आपके विभाग में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को जिन्होनें अपना अचल सम्पति विवरण दिनांक 31.05.2018 तक भी ऑन–लाईन अपलोड नहीं किया है को 1 जुलाई 2018 को देय वार्षिक वेतनवृद्वि स्वीकृत नहीं करें।

वेतन वृद्धि स्वीकृत करने से पहले कार्मिक विभाग की बेवसाईट से अधिकारियों के अचल सम्पत्ति विवरण भरा है या नही उसकी जानकारी प्राप्त कर ले। जिन अधिकारियों का नाम बेवसाईट पर उपलब्ध नहीं है, उस अधिकारी के खिलाफ उपरोक्त परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करने से पहले राजस्थान राजकाज टीम से सम्पर्क कर सुनिश्चित करे की उक्त अधिकारी ने अचल सम्पत्ति विवरण भरा है या नहीं।

28-6-18

भवदीय,

www.rajteachers.com

(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

राजकाज टीम के सदस्यों के नाम मय मोबाइल नम्बर निम्न है:–

1. श्रदा अधिकारी– 7073334725
2. राजेश भटनागर– 9828340563
3. मनोज शर्मा– 9828226768
4. मोहम्मद आरीफ– 9549520764